# आदेश – पत्रक

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

## न्यायालय उप समाहर्त्ता, भू0सु0 सदर मेदिनीनगर।

दा0खा0 अपील वाद सं0– $\frac{XV}{07}$/2017–18

मुनेश्वर महतो – अपीलार्थी

बनाम

रामपृत महतो – विपक्षी

**आदेश**

यह दाखिल खारीज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी पाटन द्वारा दाखिल खारीज वाद सं0–381/2015–16 एवं दाखिल खारीज वाद सं0–976/2015–16 में क्रमशः दिनांक 03.08.2015 एवं 11.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिस आदेश के द्वारा विपक्षी रामपृत महतो के नाम से ग्राम किसैनी थाना पाटन के खाता नं0–16 प्लौट नं0–253 रकबा 2.62½ एकड़ भूमि का तथा अपीलार्थी के नाम से ग्राम किसैनी के खाता नं0–16 प्लौट नं0–253 रकबा 2.12½ एकड़ भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार अपीलार्थी ने रामजन्म महतो से निबंधित केवाला सं0–5052 दिनांक 12.06.2009 के माध्यम से प्रश्नगत् खाता/प्लौट में रकबा 2.62½ एकड़ भूमि क्रय किया और दखल कब्जा में आए। इसी प्रकार विपक्षी रामपृत महतो ने उसी विक्रेता रामजन्म महतो से निबंधित केवाला सं0–5053 दिनांक 12.06.2009 के माध्यम से प्रश्नगत् खाता/प्लौट में रकबा 2.62½ एकड़ भूमि क्रय किया। दोनों पक्षों ने बराबर बराबर रकबा एक ही विक्रेता से क्रय किया है किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा बिना स्थलीय जांच के अपीलार्थी के नाम से दाखिल खारीज वाद सं0–976/2015–16 से दिनांक 11.03.2016 को रकबा 2.12½ एकड़ भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत किया है जबकि विपक्षी रामपृत महतो के नाम से दाखिल खारीज वाद सं0–381/2015–16 से दिनांक 03.08.2015 को रकबा 2.62½ एकड़ भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी का भी 2.62½ एकड़ भूमि का दाखिल खारीज होना चाहिए था जो नहीं किया गया। अपीलार्थी का दावा है कि दाखिल खारीज के लिए महत्वपूर्ण विन्दु दखल कब्जा है किन्तु बिना स्थलीय जांच के ही कम रकबा का दाखिल खारीज कर दिया गया है। विपक्षी का दावा है कि विपक्षी ने निबंधित केवाला सं0–5053 दिनांक 12.06.2009 से रकबा 2.62½ एकड़ भूमि क्रय किया और दखल कब्जा में आए। विपक्षी के नाम से दखल कब्जा के विन्दु पर जांचोपरान्त दाखिल खारीज वाद सं0–381/2015–16 से दिनांक 03.08.2015 को 2.62½ एकड़ भूमि दाखिल खारीज किया गया। अपीलार्थी के नाम दाखिल खारीज वाद सं0–976/2015–16 से विपक्षी के दाखिल खारीज के 7–8 महीना बाद

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | दिनांक 11.03.2016 को विक्रेता की जमाबंदी एवं दखल कब्जा के आधार पर रकबा 2.12½ एकड़ भूमि का दाखिल खारीज हुआ है जिसमें हस्तक्षेप करनो का कोई आधार नहीं है।<br>निम्न न्यायालय का दाखिल खारीज वाद सं0–976/2015–16 का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचरी के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी के विक्रेता रामजन्म महतो के नाम से प्रश्नगत खाता/प्लौट में रकबा 2.12½ एकड़ भूमि की जमाबंदी चल रही थी जिसके आधार पर दाखिल खारीज किया गया है। जब विक्रेता की जमाबंदी 2.12½ एकड़ भूमि की है तो 2.62½ एकड़ भूमि का दाखिल खारीज नहीं किया जा सकता है। जहां तक विपक्षी रामपृत महतो का दाखिल खारीज का प्रश्न है विपक्षी का दाखिल खारीज 03.08.2015 को अर्थात अपीलार्थी के दाखिल खारीज के 7–8 माह पूर्व ही हुआ है। दिनांक 03.08.2015 को विपक्षी के विक्रेता की जमाबंदी रकबा 4.75 एकड़ भूमि के लिए कायम थी इसलिए विपक्षी द्वारा खरीदी गयी भूमि 2.62½ एकड़ भूमि का दाखिल खारीज हुआ है। दाखिल खारीज के लिए जमाबंदी महत्वपूर्ण विन्दु है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के नाम से पारित आदेश में हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी का दावा सीवील प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित।<br>24.11.22<br>उप समाहर्त्ता, भू0सु0<br>सदर मेदिनीनगर।<br><br>24.11.22<br>उप समाहर्त्ता, भू0सु0,<br>सदर मेदिनीनगर। |

Digitally signed by Pyare Lal
Date: 2024.07.22 07:18:23 -07:00
Location: 192.168.54.181